//

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

-::अधिसूचना::-

अधि0सं0-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-05/2026 2639 /पटना, दिनांक- 20/04/26

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-13 दिनांक-27.02.2026 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Civil Appeal No.-54/2026(Arising out of SLP(C) No.-22323 of 2023) Abhay Kumar Patel & Ors. Vs. The State of Bihar & Ors. एवं अन्य सदृश्य वाद में दिनांक-06.01.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन विज्ञापन सं0-03/2019 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारों की संशोधित अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी है ।

2. परीक्षाफल में संशोधन के पश्चात् विभागान्तर्गत पूर्व में विज्ञापन सं0-03/2019 के अन्तर्गत अनुशंसित उम्मीदवारों में से 03 उम्मीदवार अब चयन की परिधि से बाहर है । वैसे उम्मीदवारों की सूची निम्न प्रकार है:-

Sl. No.	Roll No.	NAME	Remarks
1	300185	AMIT KUMAR	अब अनुशंसा की परिधि से बाहर
2	301252	MEGHA RANI	अब अनुशंसा की परिधि से बाहर
3	303890	MANTU KUMAR SINGH	अब अनुशंसा की परिधि से बाहर

उक्त 03(तीन) उम्मीदवारों में से क्र0सं0-1 एवं 3 में अंकित श्री अमित कुमार एवं श्री मन्टु कुमार सिंह वर्तमान में विभागान्तर्गत सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर कार्यरत हैं ।

3. पूर्व में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-47 दिनांक-14.11.2023 द्वारा लघु जल संसाधन विभाग के अधीन विज्ञापन सं0-03/2019 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता, असैनिक के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारों की अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-7422 दिनांक-29.12.2023 एवं 1165 दिनांक-05.03.2024 द्वारा क्रमशः 06(छः) एवं 04(चार) उम्मीदवारों की नियुक्ति सहायक अभियन्ता(असैनिक) के रिक्त पदों के विरूद्ध की गयी ।

विभागीय अधिसूचना सं0-7422 दिनांक-29.12.2023 की कंडिका-1 के क्र0 सं0-1 द्वारा श्री अमित कुमार एवं विभागीय अधिसूचना सं0-1165 दिनांक-05.03.2024 की कंडिका-1 के क्र0 सं0-1 द्वारा श्री मन्टु कुमार सिंह की नियुक्ति औपबंधिक रूप से सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर की गयी ।

4. विज्ञापन सं0-03/2019 के अन्तर्गत संशोधित अनुशंसा में चयन की परिधि से बाहर हो रहे उम्मीदवारों के सम्बन्ध में सिविल अपील सं0-54/2026 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-06.01.2026 को पारित न्यायादेश में अंकित टिप्पणी निम्न प्रकार है:-

"45. It has been informed that the State has made appointments pursuant to the impugned judgment of the High Court which stands set-aside, however, their services may be dispensed with, in accordance with law. We also make it clear that the direction as issued shall not have any adverse impact if the State of Bihar wishes to continue the services of the persons appointed as above, if they are deemed fit, on the vacancies available, if any, or by creating supernumerary post without affecting the merit list as indicated above."

क्र0पृ0उ0

e:\official document 13.11.2024\kamlesh ji file\ae 2025\notification 03.10.2025.docx

5. बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन सं0-03/2019 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारों की संशोधित अनुशंसा में पूर्व में अनुशंसित उम्मीदवारों में से चयन की परिधि से बाहर हुए 03 उम्मीदवार, जिनमें से 02 उम्मीदवार वर्तमान में विभाग के अधीन सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर कार्यरत हैं, की सेवा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal No.-54/2026 में दिनांक-06.01.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में बरकरार रखने के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के उपरान्त विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया । विद्वान महाधिवक्ता का मुख्य परामर्श निम्नवत् है:-

"In context of facts stated on Page 10/N and advisory of GAD, keeping in view observation of Hon'ble Supreme Court as contained in Paragraph 45 referred to above, I am in agreement with the advice of GAD contained in paragraph-5(i) and (ii). Hon'ble Supreme Court has left it for the State Government to continue the services of all persons, if they are deemed fit, on the vacancies available, if any, or by creating supernumerary post without affecting the merit list as indicated above."

6. अतएव माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Civil Appeal No.-54/2026(Arising out of SLP(C) No.-22323 of 2023) में दिनांक-06.01.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन सं0-03/2019 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता, असैनिक के पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षाफल में संशोधन के उपरान्त विभागान्तर्गत पूर्व में अनुशंसित उम्मीदवारों में से चयन की परिधि से बाहर हुए वैसे निम्नांकित उम्मीदवारों, जो वर्तमान में सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर कार्यरत हैं, की सेवा सामान्य प्रशासन विभाग एवं विद्वान महाधिवक्ता, बिहार के परामर्श के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित कर बरकरार रखी जाती है:-

क्र0 सं0	सहायक अभियन्ता(असैनिक) का नाम/गृह जिला/जन्म तिथि	अनुक्रमांक	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री अमित कुमार/ सारण/21.12.1985	300185	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, औरंगाबाद ।
2.	श्री मन्टु कुमार सिंह/ गोपालगंज/02.05.1993	303890	प्राक्कलन पदाधिकारी-सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, नालन्दा ।

7. इस निर्णय के तहत सेवा में बरकरार रखे गये उपरोक्त सहायक अभियन्ता विज्ञापन सं0-03/2019 के अन्तर्गत नियुक्त अन्य सहायक अभियन्ताओं से वरीयता सूची में सबसे नीचे रखे जायेंगे ।

8. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है तो तद्नुसार संशोधित किया जायेगा ।

9. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20/04/26

(सुशांत कुमार)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 2639 /पटना, दिनांक- 20/04/26

प्रतिलिपि- ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

20/04/26

सरकार के अपर सचिव ।

e:\official document 13.11.2024\kamlesh ji file\ae 2025\notification 03.10.2025.docx

ज्ञापांक- 2639 /पटना, दिनांक- 20/04/26

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वे0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- 20/04/2026

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 2639 /पटना, दिनांक- 20/04/26

प्रतिलिपि- सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक-13 दिनांक-27.02.2026 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- 20/04/2026

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 2639 /पटना, दिनांक- 20/04/26

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/विधि विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- 20/04/2026

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 2639 /पटना, दिनांक- 20/04/26

ई-मेल

प्रतिलिपि- अभियन्ता प्रमुख/सभी मुख्य अभियन्ता/सभी अधीक्षण अभियन्ता/सभी कार्यपालक अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार/श्री अमित कुमार, अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, औरंगाबाद/श्री मन्टु कुमार सिंह, प्राक्कलन पदाधिकारी-सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- 20/04/2026

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 2639 /पटना, दिनांक- 20/04/26

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- 20/04/2026

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 2639 /पटना, दिनांक- 20/04/26

प्रतिलिपि- आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं अधिसूचना की सी0डी0 एम0एस0 वर्ड में अंग्रेजी शीर्षक के साथ तैयार कर निर्गत शाखा को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।

ह0/- 20/04/2026

सरकार के अपर सचिव ।